भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

**<u>सार्वजनिक सूचना</u>**

डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पातल, नई दिल्ली में "तकनीकी पर्यवेक्षक (ऑपरेशन थिएटर)" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी क`े दिनांक 13.10.2015 क`े का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पातल, नई दिल्ली में "तकनीकी पर्यवेक्षक (ऑपरेशन थिएटर)" पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या <u>medicalhospital61@gmail.com</u> पर ई- मेल कर सकते हैं।

अभिषेक पाण्डेय

(अभिषेक पाण्डेय )
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष -23061203

(अभिषेक पांडेय)
(ABHISHEK PANDEY)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare,
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नई दिल्ली

दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख , 2024

सा.का.नि....- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, 2000 में जहां तक उनका संबंध तकनीकी पर्यवेक्षक(ऑपरेशन थियेटर) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीकी पर्यवेक्षक (ऑपरेशन थियेटर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीकी पर्यवेक्षक(ऑपरेशन थियेटर), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 है।
   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है ।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदो की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| )1( | )2( | )3( | )4( | )5( | )6( |
| तकनीकी पर्यवेक्षक (ऑपरेशन थियेटर) | 01* (2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | स्तर-7 (44900-142400/-रुपये)। | चयन | लागू नहीं होता। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियो की दशा में लागू होंगी या नही | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|---|---|---|---|
| )7( | )8( | )9( | )10( |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| )11( | )12( | )13( |
| वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400/- रुपये) में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ऑपरेशन थियेटर) से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की है।<br><br>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए अर्हता सेवा कि अवधि के दौरान ऑपरेशन थियेटर में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव आवश्यक है। | समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:<br>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ .राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष;<br>2. संबंधित विभागाध्यक्ष, डॉ .राम मनोहर लोहिया अस्पताल, - सदस्य;<br>3. उपनिदेशक प्रशासन, जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी हैं -सदस्य। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| **प्रतिनियुक्ति:**<br>**केंद्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:**<br>(क)(i)जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br>(ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रुपये) या समतुल्य में पदों पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या<br>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:<br>(i) विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के साथ 10+2 उत्तीर्ण; और<br>(ii) ऑपरेशन थियेटर में सात वर्षों का कार्यानुभव;<br>(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समकक्ष से ऑपरेशन थियेटर सहायक/ऑपरेटिंग कक्ष सहायक/केन्द्रीय स्टेरीलाईजेशन आपूर्ति विभाग प्रशिक्षण में न्यूनतम 9 महीनों की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।<br>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

[ए.11018/05/2024-एमएच-II]

(अभिषेक पांडेय )
अवर सचिव, भारत सरकार